संख्या: 64/2020/2260/12-2-2020-1/2019 टी0सी0-1

प्रेषक,

अनिल ढींगरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2020

विषय: Operational Guidelines for Scheme "Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organization (FPOs)" to form and promote FPOs-circulation and implementation reg.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के पत्र संख्या: 28011/1/2020-एम-II दिनांक 02 जुलाई, 2020 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु आपरेशनल गाइड-लाईन निर्गत की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 966/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं उनके कार्य कलापों की समीक्षा तथा उन्हे उक्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय मानिटरिंग समिति (डी-एम0सी0) का गठन किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं उनके कार्य कलापों की समीक्षा तथा उन्हे उक्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं उनके कार्य कलापों में आने वाली कठिनाईयों को दूर किए जाने के दृष्टिगत उपर्युक्त भारत सरकार के आपरेशनल गाइड-लाईन दिनांक 02 जुलाई, 2020 एवं शासन के उक्त पत्र दिनांक 27 मई, 2020 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त गाइड-लाइन्स में जिला स्तरीय समिति के दायित्व स्पष्ट रूप से रेखांकित किए गए हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

संख्या: 64/2020/2260/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ, नई दिल्ली।
5. रीजनल डायरेक्टर, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।